कार्यालय नगर पालिका परिषद छिबरामऊ–जनपद कन्नौज।

सूचना अधिकार अधिनियम –2005 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में मद संख्या 1 से

लगायत 17 तक का मैनुअल/विवरण पत्र

बिन्द संं0	बिन्दु	विवरण	
4	प्रभार/प्राधिकरण के क्रिया कलापों को संपादितकरने हेतु निर्धारित प्राविधान	**पेंयजल व्यवस्था**	
		1–पेयजल व्यवस्था में एक ओबर हेड टैंक और सात ट्यूबवेल कार्य कर रहें है। दो नलकुप ओबर हैड टैंक से जुडे है शेष पॉच नलकुपो से सीधे जलापूर्ति की जा रही है।	1–नलकुप खराबी की सूचना प्राप्त के दो दिनों के अन्दर ठीक कराये जाने की ब्यवस्था है।
		2–निकाय में 392 इन्डिया मार्का हैण्डपम्प है।	2–हैण्डपम्प की सामान्य खराबी की सूचना प्राप्त के दो दिवस में ठीक कराने की व्यवस्था है।
		3–4133 जलकनेक्शन हैं जिसमें ब्लीचिंग युक्त शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रहीं है।	3–आवेदन प्रात होने के बाद सामान्य औपचारिक्ताये पूर्ण करतें हुए एक सप्ताह में जल संयोजन देने की व्यवस्था है।
		4–एक जनरेटर 19 के0बी0ए0 का है जिससे विद्युत न होने पर नलकूप नं0 1 से जलापूर्ति की जाती है	4–खराबी होने पर तत्काल ठीक कराने की व्यवस्था है।
		5–दो टेंकर प्रत्येक 2500 ली0 के उपलब्ध है।	5–प्रार्थना पत्र पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर टैंकर उपलब्ध कराया जाता है।
		मार्ग प्रकाशः–	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		1– नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत 700 विद्युत पोल हे जिन पर बल्व ट्यूबलाइट मरकरी, सोडियम वेपर लैंम्प तथा हाईमाक्स लैंम्प से मार्ग प्रंकाश व्यवस्था की जाती है।	निरीक्षण/सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अन्दर बल्व आदि बदलनें की व्यवस्था है।	
		<u>सफाई व्यवस्थाः–</u> नगर क्षेत्र में 25 वार्ड हैं जिसमें 51 नियमित सफाई कर्मचारी तथा 65 संविदा कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाती है। 3 ट्रेक्टर ट्राली तथा 55 हाथठैला,, व अन्य सफाई उपकरण उपलब्ध है	प्रत्येक वार्ड में नियमित सडको, नालियों की सफाई तथा कूडा उठाया जाता है।शिकायत प्राप्त होने तत्काल सफाई कर्मी को लगाया जाता है। ट्रेक्टर ट्राली एवं हाथठेला द्वारा दैनिकरूप से कूडा उठाने की व्यवस्था है	
		<u>जन्म मृत्यु पंजीयनः–</u> जन्म मृत्यृ की सूचना समय पर प्राप्त होने पर पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।	1–जन्म मृत्यु का पंजीयन 21 दिन के अन्दर सामान्य फार्म पर सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार पंजीयन की व्यवस्था है।	
			2– 21दिन के बाद एक वर्ष तक नोटरी हलफनामें के साथ निधार्रितप्रपत्र पर सूचना प्राप्त होने पर 7 दिवस के अन्दर कार्यवाही की जाती है	
			3–एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक समय बाद सूचना देने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरान्त प्रमाणपत्रनिर्गत करने काप्राविधान है।	
		<u>गृहकर एवं जलकर निर्धारणः–</u>		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समय में 8375 भवन है जिनपर कर निर्धारित है नव निर्मित भवनों पर समय समय पर सर्वे कराकर तथा सामान्य रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में गृहकर एवं जलकर निर्धारित किया जाता है।	नगर पालिका अधिनियम 2 1916 में निहीत प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत पंचवर्षीय कर निर्धारण किया जाता है उवविधियों के अनुसार रेंन्टल बैल्यु का 5 प्रतिशत गृहकर तथा 10 प्रतिशत जलकर निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है।	
		जलमूल्यः– नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान में 4133 जल कनेक्शन है जिससे नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जाता है	अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार घरेलू कनेक्शन पर 216/– तथा गैर घरेलू कनेक्शनों पर 360/–वार्षिक नियमानुसार जलमूल्य लिये जाने की व्यवस्था है।	
		नामान्तरण/दाखिल खारिज– जनता द्वारा प्रार्थना पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण सूची एवं मॉग पंजिका में नाम दर्ज करना	दाखिल खरिज हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र/अभिलेखों के प्राप्त होने पर नोटिस प्रकाशन के 35 दिन के अन्दर अभिलेखों के आधार पर दाखिल खारिज किए जाने का प्राविधान है।	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com